6
अध्याय

वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला ब्लॉकों की नीलामी

वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला ब्लॉकों की नीलामी

1. आवंटन की स्थिति (सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आवंटित)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनावंटित 204 कोयला खानों का आवंटन अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, अब तक कुल 128 कोयला खानें आवंटित हो चुकी हैं। इनमें से, 22 कोयला खानों का आवंटन रद्द किया जा चुका है। शेष 106 कोयला खानों में से, 53 कोयला खानें नीलामी द्वारा आवंटित की गई जबकि 53 आवंटन के माध्यम से आवंटित की गई। नीलाम की गई 53 खानों में से, 19 खानों को खान खोलने की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं (17 उत्पादन के अंतर्गत)। 53 आवंटित खानों में से, 31 खानों को खान खोलने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है (22 उत्पादन के अंतर्गत)।

कोयला खानों की स्थिति निम्नवत है:

सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आवंटित कोयला खानों की स्थिति								
क्र.सं.	आवंटन की पद्धति	अंत्य उपयोग "विद्युत"	अंत्य उपयोग "एनआरएस"	कोयले की बिक्री	कुल	खानें जिनके पास खान खोलने की अनुमति है	गैर–प्रचालनरत खानें	उत्पादन के अंतर्गत खानें
1	नीलामी	5	20	28	53	19	34	17
2	आवंटन	38	2	13	53	31	22	22
	कुल	43	22	41	106	50	56	39
एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत आवंटित कोयला खानों की स्थिति								
1	नीलामी	0	0	17	17	0	17	0
2	आवंटन	5	0	1	6	0	6	0
कुल		**5**	**0**	**18**	**23**	**0**	**23**	**0**
कुल योग		**48**	**22**	**59**	**129**	**50**	**79**	**38**

106 आवंटित कोयला खानों में से, 50 खानों को खान खोलने की अनुमति मिल चुकी है और 39 खानों में कोयले का उत्पादन शुरु हो गया है।

नामर्निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित कोयला ब्लॉकों से नवंबर, 2022 तक उत्पन्न कुल राजस्व 13098.17 करोड़ रु. (रॉयल्टी, करों, उपकरों आदि को छोडकर) है।

मार्च, 2022 तक आवंटित कैप्टिव/वाणिज्यिक ब्लॉकों से कुल उत्पादन 356.41 मि.ट. और नवंबर, 2022 तक वर्ष 2022–23 में 67.16 मि.ट. है।

2. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एमएमडीआर खानों का आवंटन

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा कुल 17 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी हो गई है और इसे एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में निहित किया गया है।

3. राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की प्रचालन नियमावली एवं प्रतीकात्मक मूल्य

आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा कोयला ब्लॉकों के

वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी जा चुकी है। नीलामी प्रक्रिया में, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एवं प्रतीकात्मक मूल्य की अति महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सूचकांक की अवधारणा एवं डिजाइन तथा प्रतीकात्मक मूल्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा विकसित की गई है। वर्तमान दिशानिर्देश तकनीकी विवरण देते हैं जिनका अनुपालन कोयला मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप एनसीआई और आरपी के संग्रहण के विभिन्न स्तरों पर किया जाना है।

3. क. एनसीआई एवं आरपी की संक्षिप्त सामग्रीः एनसीआई सभी विक्रय स्तरों–अधिसूचित मूल्यों, नीलामी मूल्यों एवं आयात मूल्यों से कोयला के मूल्यों को सम्मिलित करते हुए एक मूल्य सूचकांक है।

अधिकांश कोयले की बिक्री अधिसूचित मूल्यों पर होती है। नॉन–कोकिंग कोयला हेतु, सीआईएल प्रत्येक श्रेणी के लिए अधिसूचित मूल्य निश्चित करती है। विनियमित क्षेत्र एवं गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) में मूल्य विभेद है। पुनः, लागत संबंधी विचार के कारण, डब्ल्यूसीएल कोयला हेतु विभिन्न अधिसूचित मूल्य व्यवस्था बनाई गई हैं। इसी तरह, एससीसीएल भी विनियमित एवं गैर–विनियमित क्षेत्रों के मध्य मूल्य विभेद के साथ कोयला की विभिन्न श्रेणियों हेतु मूल्य अधिसूचित करती है। कोकिंग कोयला के संदर्भ में, सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियां ही उत्पादन कर रही हैं। कोकिंग कोल का मूल्य अधिसूचित करने की शक्ति सहायक कंपनियों को प्रत्यायोजित की गई है। विनियमित एवं गैर–विनियमित क्षेत्रों और सीआईएल (डब्ल्यूसीएल के अतिरिक्त) हेतु कोयले की प्रत्येक श्रेणी के अधिसूचित मूल्य तथा गैर–कोकिंग कोयले हेतु डब्ल्यूसीएल एवं एससीसीएल और विनियमित क्षेत्रों एवं गैर–विनियमित क्षेत्रों हेतु विभिन्न श्रेणी की विभिन्न सहायक कंपनियों को कोकिंग कोयले के लिए अधिसूचित मूल्य एनसीआई और आरपी के उद्देश्य हेतु लिए जाएगें।

अधिसूचित मूल्यों पर बिक्री के अतिरिक्त, सीआईएल और एससीसीएल विभिन्न मंचों अर्थात् एमएसटीसी और जंक्शन पर कोयले की ई–नीलामी करते हैं। इस उद्देश्य हेतु, योजनाओं का एक समूह खास तरह के ग्राहकों हेतु है। नीलामी प्रत्यक माह संपन्न की जाती है। इसके अलावा, सीआईएल–एनआरएस हेतु लिंकेज नीलामी करता है। एनसीआई एवं आरपी के उद्देश्य हेतु, नीलामी (केवल सीआईएल की) से विभिन्न श्रेणी के कोयले की इकाई मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। **इस उद्देश्य हेतु, नीलामी, का आश्य दोनों ई–नीलामी एवं लिंकेज नीलामी से है।**

एनसीआई एवं आरपी का तृतीय घटक आयात मूल्य है। दोनों के संग्रह हेतु केवल निर्धारित देशों से विशिष्ट प्रकार के कोयले के आयात को ही ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक माह हेतु, आयात की मात्रा एवं इनके मूल्य डीजीसीआईएस से एकत्र किए जाएंगे और इन दो मूल्यों से, कोयले की इकाई मूल्य की गणना एनसीआई तथा आरपी में इसके उपयोग हेतु की जायेगी।

3. ख डाटा संग्रहणः विभिन्न प्रकार के मूल्य के डाटा संग्रहण की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से डीडीजी कार्यालय पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य हेतु, निदेशक (विपणन), सीआईएल एवं डीजीसीआईएस को नियमित आधार पर डाटा भेजने के लिए एक पत्र भेजा गया था। डीडीजी को विपणन विभाग, सीआईएल और डीजीसीआईएस के अधिकारियों के साथ निर्धारित समय–सीमा में डाटा–संग्रहण हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का अनुसरण करता है। कोकिंग कोयले का अधिसूचित मूल्य प्राप्त करने हेतु बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल एवं डब्ल्यूसीएल के कोकिंग कोयला मूल्यों के लिए डीडीजी द्वारा सीआईएल के साथ नियमित वार्तालाप करना है, जिसका डाटा उद्देश्य हेतु उपयुक्त है।

मंत्रालय द्वारा प्रत्येक माह संग्रहित की जा रही है। नवीनतम एनसीआई दिसम्बर, 2022 माह में प्रकाशित की गई थी।

4. वाणिज्यिक खनन

वर्ष 2014 में शुरू की गई नीलामी–आधारित प्रणाली ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी, तथापि, यह अपने अन्तय उपयोग संयंत्रों में कैप्टिव उपयोग तक सीमित थी। इस क्षेत्र को 2020 में निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए खोल दिया गया है और वाणिज्यिक खनन की पहली सफल नीलामी माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18.06.2020 को शुरू की गई और 19 कोयला खानों के आवंटन के साथ संपन्न हुई।

वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक की नीलामी दो चरणों वाली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में की जाती है, जिसमें पहले चरण, और दूसरा तथा अंतिम चरण जहां बेहतर मूल्य प्रस्ताव प्राप्त

करने का लक्ष्य है, में तकनीकी जांच और प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल है।

वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी प्रतिबंधित क्षेत्रों, उपयोग और मूल्य की पहली प्रणाली से पूरी तरह अलग है। अब, इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं हैं। नीलामियों के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जो नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देती हैं। अग्रिम राशि में कमी, रॉयल्टी के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को चालू करने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वतः मार्ग और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के आधार पर उचित वित्तीय शर्तों तथा राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है।

अब तक, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों में 64 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है (ब्यौरा अनुबंध–I में संलग्न है)। उपर्युक्त 64 कोयला ब्लॉकों की सफल नीलामी के माध्यम से कोयला धारी राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ निम्नानुसार हैं: –

क्र. सं	राज्य	नीलाम की गई कोयला खानों की संख्या	नीलाम की गई कोयला खान का संचयी पीआरसी (एमटीपीए)*	खान के पीआरसी के आधार पर उत्पन्न वार्षिक राजस्व (करोड़ रुपए)*	पूंजी निवेश (करोड़ रु.)*	कुल रोजगार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष)*
1	अरुणाचल प्रदेश	1	0.20	422.49	30.00	100
2	असम	2	0.02	38.44	3.60	20
3	छत्तीसगढ	8	12.20	2,361.75	1,830.00	16,494
4	झारखंड	16	32.78	4,272.06	4,917.00	44,319
5	मध्य प्रदेश	13	11.85	1,846.50	1,777.50	16,021
6	महाराष्ट्र	8	6.07	899.49	910.35	8,205
7	ओडिशा	14	82.63	9,457.69	12,394.50	1,11,716
8	तेलंगाना	1	4.80	436.88	720.00	6,490
9	पश्चिम बंगाल	1	1.89	130.08	283.50	2,555
	कुल योग	**64**	**152.44**	**19,865.37**	**22,866.45**	**2,05,920**

**कृपया नोट करें कि वाणिज्यिक नीलामी के 2, 3, 4 और 5 दौर के तहत खानों के लिए केवल पूर्ण अन्वेषित खानों के लाभों की गणना की गई है क्योंकि आंशिक रूप से अन्वेषित खानों का पीआरसी उपलब्ध नहीं था। हालांकि, वाणिज्यिक नीलामियों के पहले दौर की कोयला खानों से लाभ की गणना करते समय, आंशिक और पूर्ण रूप से अन्वेषित दोनों खानों के लाभ पर विचार किया गया है क्योंकि आंशिक रूप से और पूरी तरह से खोजी गई कोयला खानों का पीआरसी उपलब्ध था।*

वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी के 5 वें दौर में, 8 कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए एकल बोली प्राप्त हुई। इसलिए, मंत्रालय द्वारा उक्त 8 कोयला/लिग्नाइट खानों के दूसरे प्रयास का निर्णय लिया गया। तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी, 2022 है।

केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 3 नवंबर, 2022 को 71 नई खानों सहित 133 कोयला खानों की नीलामी के छठे और नवीनतम दौर का शुभारंभ किया।

पांच चरणों में 64 कोयला खानों की सफल नीलामी के बाद, कोयला मंत्रालय ने अब 71 नई कोयला खानों (सीएम (एसपी) अधिनियम के 16 वें दौर के तहत 18 नई खानें और एमएमडीआर अधिनियम के 6ठे दौर के तहत 53 नई खानें) की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। वाणिज्यिक नीलामी के तीसरे दौर के दूसरे प्रयास और वाणिज्यिक नीलामी के चौथे दौर के दूसरे प्रयास से कोयला खानों के रॉल ओवर के साथ कुल 133 कोयला खानों को प्रस्तावित किया जाएगा।

प्रस्ताव पर इन 133 खानों में से, 65 पूर्ण अन्वेषित हैं और 68 आंशिक रूप से अन्वेषित हैं। ये खानें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के बारह कोयला उत्पादक राज्यों में फैली हुई हैं। नीलामी के 5 वें दौर के दूसरे प्रयास में प्रस्तावित 8 कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों और 6 ठे दौर की नीलामी में प्रस्तावित 133 कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों का ब्यौरा अनुबंध–II के रूप में संलग्न है।

विस्तृत विचार–विमर्श के बाद खानों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40% से अधिक वन आच्छादन, भारी निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खानों को बाहर रखा गया है।